ए.

फेनल खान

वी.

झारखंड और अन्य राज्य (आपराधिक अपील सं.)।937 2011 का)

बी.

अक्टूबर 04,2019

[नवीन सिन्हा और बी**.** आर**.** गवई**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:एसएस।302/149 और एसएस।323/149 और एस।147 – के तहत दोषसिद्धिार्थी की याचिका कि आरोप एस. एस. के तहत बनाया गया था।302/149 और एसएस।323/149 छह व्यक्तियों के खिलाफ लेकिन एस के तहत आरोप।147 केवल चार व्यक्तियों के खिलाफ था और इसलिए एस की सहायता के बिना दोषपूर्ण था।141 और एस। 146 – आयोजित किया गयाःमूल रूप से छह आरोपी थे-उनमें से दो की मृत्यु हो चुकी है-अपीलार्थीगण अच्छी तरह से जानते थे कि उनमें से छह पर एसएस के तहत एक सामान्य हमले के लिए एक साथ आरोप लगाया गया था।302/149 और 323/149 उनके एक समान उद्देश्य को साझा करने के कारण-अपीलार्थीगण को यह भी पता था कि दो अभियुक्तों के पास एक घातक हथियार, भाले थे, और जिनका उपयोग हमले के लिए किया गया था-इसलिए, अदालत द्वारा एस के तहत आरोप तय करने में चूक।147 केवल चार व्यक्तियों के खिलाफ केवल एक अनजाने में चूक थी-इसके अलावा, एक दोषपूर्ण आरोप के बारे में आपत्ति, बिना किसी पूर्वाग्रह के सबूत के, पहली बार तत्काल अपील में उठाई गई थी और उस कारण से भी विचार करने योग्य नहीं था।

सी.

डी.

ई.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:s.313-अपीलार्थी की याचिका कि वे अपने बचाव में गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे क्योंकि एस के तहत बचाव करने के उचित अवसर से इनकार कर दिया

गया था।313 क्योंकि उनके सामने रखे गए आपत्तिजनक प्रश्न बेहद अनौपचारिक और निरर्थक थे-आयोजित किए गए:<आई. डी. 1.....

एफ.

जी.

एच.

924 ए.

925

फेलुल खान बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य ए

तत्काल मामला, घायल गवाहों पी. डब्ल्यू. एस. के उपलब्ध नेत्र साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए। 7 और 8 जिनसे भी अपीलार्थीगण द्वारा जिरह की गई थी, अपीलार्थीगण के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था-अपीलार्थीगण से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया था कि उन्होंने मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा में भाग लिया था-इसके अलावा, यह भी उनके सामने रखा गया था कि उन्होंने पी. डब्ल्यू. 7 और 8 को चोट पहुंचाई थी-केवल इसलिए कि उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए व्यक्तिगत हमले के संबंध में अपीलार्थीगण से कोई प्रश्न नहीं किया गया था, मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया था-अपीलार्थीगण ने यह कहने के अलावा कोई स्पष्टीकरण या सबूत पेश करने की इच्छा व्यक्त नहीं की कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।

बी.

सी.

आपराधिक कानून:अनुसंधान घअनुसंधान ाअनुसंधान यअनुसंधान लअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान शअनुसंधान ्अनुसंधान मअनुसंधान दअनुसंधान ीअनुसंधान दअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान हअनुसंधान ोअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान ोअनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान रअनुसंधान िअनुसंधान पअनुसंधान ोअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान नअनुसंधान ुअनुसंधान पअनुसंधान सअनुसंधान ्अनुसंधान थअनुसंधान िअनुसंधान तअनुसंधान िअनुसंधान -अनुसंधान अअनुसंधान भअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ोअनुसंधान जअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान मअनुसंधान लअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान भअनुसंधान ाअनुसंधान वअनुसंधान -

अनुसंधान अअनुसंधान भअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ोअनुसंधान जअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ाअनुसंधान मअनुसंधान लअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान डअनुसंधान बअनुसंधान ्अनुसंधान लअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ूअनुसंधान अनुसंधान 8 अनुसंधान अनुसंधान औअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ृअनुसंधान तअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ाअनुसंधान थअनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान रअनुसंधान हअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान बअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान नअनुसंधान ्अनुसंधान हअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान रअनुसंधान ोअनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान वअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान तअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ोअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ्अनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान घअनुसंधान ेअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान लअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान औअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान हअनुसंधान मअनुसंधान लअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान -अनुसंधान सअनुसंधान ाअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान षअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान मअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान हअनुसंधान ीअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान तअनुसंधान िअनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान ीअनुसंधान कअनुसंधान ्अनुसंधान षअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान पअनुसंधान सअनुसंधान ्अनुसंधान थअनुसंधान िअनुसंधान तअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान औअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान घअनुसंधान टअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान लअनुसंधान गअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान ोअनुसंधान टअनुसंधान ोअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान पअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ंअनुसंधान दअनुसंधान ेअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान रअनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान लअनुसंधान िअनुसंधान एअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान मअनुसंधान ीअनुसंधान

अनुसंधान नअनुसंधान हअनुसंधान ीअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान -अनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान डअनुसंधान बअनुसंधान ्अनुसंधान लअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ूअनुसंधान अनुसंधान 7 अनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान इअनुसंधान लअनुसंधान ाअनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान सअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान औअनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान एअनुसंधान कअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ्अनुसंधान वअनुसंधान तअनुसंधान ंअनुसंधान तअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान अनुसंधान भअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान घअनुसंधान टअनुसंधान नअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ौअनुसंधान रअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान ोअनुसंधान टअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान आअनुसंधान ईअनुसंधान ंअनुसंधान -अनुसंधान पअनुसंधान ीअनुसंधान डअनुसंधान बअनुसंधान ्अनुसंधान लअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान ूअनुसंधान अनुसंधान 8 अनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान पअनुसंधान नअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान बअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ौअनुसंधान रअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान भअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान िअनुसंधान खअनुसंधान ाअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान ोअनुसंधान टअनुसंधान ोअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान उअनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान हअनुसंधान ुअनुसंधान एअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान िअनुसंधान शअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान टअनुसंधान ्अनुसंधान रअनुसंधान ाअनुसंधान यअनुसंधान लअनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान जअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ्अनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान रअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान ेअनुसंधान खअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान एअनुसंधान -अनुसंधान दअनुसंधान ोअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान वअनुसंधान ाअनुसंधान हअनुसंधान ोअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान बअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान नअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान भअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान हअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान अअनुसंधान सअनुसंधान ्अनुसंधान पअनुसंधान तअनुसंधान ाअनुसंधान लअनुसंधान अनुसंधान मअनुसंधान ेअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान ोअनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान रअनुसंधान

िअनुसंधान पअनुसंधान ोअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान दअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान जअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान हअनुसंधान ीअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान गअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान -अनुसंधान तअनुसंधान थअनुसंधान ्अनुसंधान यअनुसंधान अनुसंधान यअनुसंधान हअनुसंधान अनुसंधान हअनुसंधान ैअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ोअनुसंधान ईअनुसंधान अनुसंधान चअनुसंधान ोअनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान ीअनुसंधान अनुसंधान रअनुसंधान िअनुसंधान पअनुसंधान ोअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान टअनुसंधान अनुसंधान नअनुसंधान हअनुसंधान ीअनुसंधान ंअनुसंधान अनुसंधान थअनुसंधान ीअनुसंधान ,अनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान िअनुसंधान सअनुसंधान ेअनुसंधान अनुसंधान वअनुसंधान रअनुसंधान ्अनुसंधान गअनुसंधान ीअनुसंधान कअनुसंधान ृअनुसंधान तअनुसंधान अनुसंधान कअनुसंधान िअनुसंधान यअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान जअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान सअनुसंधान कअनुसंधान तअनुसंधान ाअनुसंधान अनुसंधान हअनुसंधान ैअनुसंधान ।अनुसंधान

डी.

ई.

एफ.

दंड संहिता, 1860:एसएस।302/149 और एसएस।323/149 – दोषसिद्धि के तहत-अपीलार्थीगण निस्संदेह एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे जिनमें से कुछ भाले से लैस थे और मृतक पर हमला करते थे-सभी अभियुक्तों ने मृतक को भागने से रोकने के लिए उसे घेर लिया-प्रारंभिक हमला मृतक के सिर पर लाठी से किया गया था-मृतक नीचे गिर गया

जी.

एच.

और जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो दो व्यक्तियों ने भाले से उस पर हमला किया-पी. डब्ल्यू. 7 को अपीलार्थी-एफ द्वारा सिर पर हमला किया गया था-इस विवाद में कि अपीलार्थी-एम द्वारा हमला गवाह की जांघ पर गिर गया था-इसी तरह, पी. डब्ल्यू. 8 को अपीलार्थी-एस द्वारा चेहरे और सिर पर हमला किया गया था-यह तथ्य कि सह-अभियुक्त ने फिर से सिर पर हमला किया हो सकता है, सामान्य उद्देश्य की अनुपस्थिति से बचने के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है-दोषसिद्धि के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है।

बी.

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़नाः**1.** मूल रूप से छह आरोपी थे।उनमें से दो की मौत हो चुकी है और एक के भाग्य का पता नहीं चल पाया है।अपीलार्थीगण अच्छी तरह से जानते थे कि उनमें से छह पर धारा **302/149** और **323/149** के तहत एक सामान्य हमले के लिए एक साथ आरोप लगाया गया था क्योंकि वे एक सामान्य उद्देश्य साझा कर रहे थे।अपीलार्थीगण इस बात से भी अवगत थे कि दो अभियुक्तों के पास एक घातक हथियार**,** भाले थे और जिनका उपयोग हमले के लिए किया जाता था।इसलिए**,** अपीलार्थीगण के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया था और अदालत द्वारा केवल चार व्यक्तियों के खिलाफ धारा **147** के तहत आरोप तय करने में चूक केवल एक अनजाने में चूक थी।एक दोषपूर्ण आरोप के बारे में आपत्ति**,** बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्य के**,** तत्काल अपील में पहली बार उठाई गई है और उस कारण से भी कोई विचार नहीं किया जाता है।**[**पैरा **9] [931-**डी**,** एफ**-**एच**]**

सी.

डी.

ई.

2. पीडब्लू **8** और मृतक एक साथ जा रहे थे जब उन्हें आरोपी व्यक्तियों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया।गवाह की उपस्थिति और उसी घटना में उसे लगी चोटों पर संदेह करने के लिए साक्ष्य या प्रतिपरीक्षा में कोई कमी नहीं थी।इसी घटना के दौरान इलाके के निवासी पी**.** डब्ल्यू**. 7** और एक स्वतंत्र गवाह को भी चोटें आईं।हालाँकि**,** पी**.** डब्ल्यू**. 6** चश्मदीद गवाह प्रतीत नहीं होता है।गवाह घर पर था और हंगामा सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गया**,** जब तक कि मृतक जमीन पर लेटा हुआ था।पी**.** डब्ल्यू**. 7** ने पदच्युत कर दिया कि पी**.** डब्ल्यू**. 6** उनके पीछे पड़ गए।पी**.** डब्ल्यू**. 7** ने अपीलार्थी**-**एस**.** द्वारा पी**.** डब्ल्यू**. 8** पर लाठी से और गवाह पर भी अपीलार्थी**-**एफ**.** और एम**.** द्वारा उसके सिर और दाहिने हाथ पर चोट पहुँचाने के कारण हुए हमले को अपदस्थ कर दिया।अपीलार्थी**-**एम के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने गवाह की जांघ पर लाठी से हमला किया था।पी**.** डब्ल्यू**. 8** ने बयान दिया कि आरोपी ने उसे और मृतक को घेर लिया।अपीलार्थी**-**एस**.** ए**.**

एफ.

जी.

एच.

927

फेलुल खान बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य ए

मृतक के सिर पर हमला किया।गवाह के चेहरे, सिर और हाथ पर लाठी से हमला किया गया।दोनों गवाहों ने गवाही दी कि फिर उन्हें मृतक के साथ अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी चोटों की जांच की गई।पी. डब्ल्यू. **8** ने अपने बयान के दौरान उनकी चोटों के कारण हुए निशान भी दिखाए, जिन्हें ट्रायल जज ने देखा।कहा जाता है कि दोनों गवाहों का बयान भी अस्पताल में दर्ज किया गया है।तथ्य यह है कि कोई चोट की रिपोर्ट नहीं थी, इसे एक दोषपूर्ण अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन उसी घटना में उनके घायल गवाह होने की विश्वसनीयता के बारे में संदेह नहीं पैदा कर सकता है।पी. डब्ल्यू. **11,** पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जहाँ मृतक और घायलों को ले जाया गया था, ने विशेष रूप से बयान दिया है कि उन्होंने गवाहों की चोट रिपोर्ट के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है और जिसके अनुसार उन्हें उनकी चोट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी।इसके बाद ही उनके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।उनकी जिरह में उनके बयानों को बदनाम करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी।**[**पैरा **10] [932-**ए**-**एफ**]**

बी.

सी.

डी.

3. धारा **313, Cr.P.C.** में ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत को शामिल किया गया है। यह अभियुक्त को उसके खिलाफ अभियोजन के आरोपों के बारे में पूरी तरह से जागरूक करके और अपनी बेगुनाही के समर्थन में उसी का जवाब देने का अवसर प्रदान करता है। लेकिन समान रूप से किसी अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह की सामान्य धारणा केवल किसी चूक या उसके तहत किसी अभियुक्त के सामने रखे गए अपर्याप्त प्रश्नों के कारण नहीं हो सकती है। अंततः यह एक ऐसा प्रश्न होगा जिस पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचार किया जाना चाहिए, जिसमें उपलब्ध अन्य साक्ष्य की प्रकृति, किसी अभियुक्त को दिए गए प्रश्नों के प्रकार, और आगे कुछ भी शामिल होगा जो अभियुक्त अपने बचाव में कह सकता है। तत्काल मामले के तथ्यों में, घायल गवाहों पी. डब्ल्यू. एस. के उपलब्ध नेत्र साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए। **7** और **8** जिनसे भी अपीलार्थीगण द्वारा जिरह की गई थी, और पी. डब्ल्यू. **11** के साक्ष्य ने अपीलार्थीगण के प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया था। अपीलार्थीगण से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा में भाग लिया।इसके अलावा, उन्हें यह भी बताया गया कि उन्होंने पी. डब्ल्यू. **7** और **8** को चोट पहुँचाई थी।केवल इसलिए कि प्रत्येक द्वारा किए गए व्यक्तिगत हमले के संबंध में अपीलार्थीगण से कोई सवाल नहीं किया गया था।

ई.

एफ.

जी.

एच.

928 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 13 एस. सी. आर.

मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।**[**पारस **11-13] [932-**जी**; 933-**एफ**-**जी**; 934-**ए**-**सी**]**

सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य **1995** सप्लीमेंट **(1)**

एससीसी **80:[1994] 1** पूरक।एससीआर **483-**पर निर्भर।

बी.

4. अपीलार्थीगण निस्संदेह एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे**,** जिनमें से कुछ भाले से भी लैस थे और मृतक पर हमला करते थे।सभी अभियुक्तों ने मृतक को भागने से रोकने के लिए उसे घेर लिया।प्रारंभिक हमला मृतक के सिर पर लाठी से अपीलार्थी**-**एस द्वारा किया गया था। मृतक नीचे गिर गया और जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था**,** तो दो लोगों ने भाले से उस पर हमला कर दिया।पी**.** डब्ल्यू**. 7** के सिर पर अपीलार्थी**-**एफ**.** द्वारा हमला किया गया था। झगड़ों में यह तथ्य कि अपीलार्थी**-**एम द्वारा किया गया हमला गवाह की जांघ पर गिरा**,** बहुत प्रासंगिक नहीं है।इसी तरह**,** पीडब्लू **8** पर अपीलार्थी**-**एस द्वारा चेहरे और सिर पर हमला किया गया था।यह तथ्य कि सह**-**अभियुक्त ने फिर से सिर पर हमला किया हो सकता है**,** सामान्य वस्तु की अनुपस्थिति से बचने के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है।**[**पैरा **17] [936-**एफ**-**एच**]**

सी.

डी.

शोभित चमार बनाम बिहार राज्य, (1998) 3 एससीसी 455:[1998] 2 एससीआर 117; फहीम खान बनाम बिहार राज्य (2011)

13 एस. सी. सी. 142:[2011] 5 एस. सी. आर. 577; सुखा बनाम राजस्थान राज्य [1956] एस. सी. आर. 288-पर निर्भर था।

ई.

मसाल्ती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202:[1964] एससीआर

133 ; रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य**, (2009) 6** एससीसी **595:[2009] 7** एससीआर **653;** समसुल हक बनाम असम राज्य**, (2019) (11)** स्केल **458;**

नजाभाई देसुरभाई वाघ बनाम वलेराभाई डेगनभाई वाघ और अन्य। **, (2017) 3** एससीसी

एफ.

261 – संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

[2009] 7 एससीआर **653**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3**

(2019) (11) स्केल **458** पैरा **3 (2017) 3** एस**.** सी**.** सी**. 261** पैरा **6 [1994] 1** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** आर**. 483** पर निर्भर

जी.

पैरा **14**

[1998] 2 एससीआर **117**

उस पर भरोसा करें

पैरा **15**

एच.

[2011] 5 एससीआर **577**

उस पर भरोसा करें

पैरा **7** ए

929

फेलुल खान बनाम झारखंड राज्य और एक अन्य ए

[1956] एससीआर **288**

उस पर भरोसा करें

पैरा **16**

[1964] एससीआर **133**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2011 की आपराधिक अपील संख्या 937।

2000 के आपराधिक अपील (डी. बी.) सं. 211 में रांची में झारखंड उच्च न्यायालय के दिनांकित 28.05.2009 के निर्णय और आदेश से।

बी.

के साथ

2011 की आपराधिक अपील सं. 939,938।

सिद्धार्थ लूथरा, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुदर्शन राजन, डॉ. के. बी. साउंडर राजन, महेश कुमार, विजय कुमार शर्मा, सुश्री महक जग्गी, सुश्री अंकिता तिवारी, पी. नरसिम्हन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

सी.

अनिल के. झा, जायेश गौरव, सुश्री दीक्षा ओझा, सुश्री प्रियंका त्यागी, कुलदिप राय, टी. महिपाल, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

नवीन सिन्हा**,** जे।

1. अपीलार्थीगण भारतीय दंड भारतीय दण्ड संहिता (आई. पी. सी.) की धारा 302/149 के तहत अपनी दोषसिद्धि से व्यथित हैं, जिसमें उन्हें आई. पी. सी. की धारा 323/149 और 147 के तहत दोषसिद्धि के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जिसके तहत उन्हें कारावास की विभिन्न शर्तों की सजा सुनाई गई है।सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया गया है।

ई.

2. कहा जाता है कि यह घटना 01.11.1983at पर लगभग 06.30 शाम को हुई थी। अभियुक्त विभिन्न प्रकार के भाले और लाठियों से लैस थे।पी. डब्ल्यू. 7 और 8 घायल चश्मदीद गवाह बताए गए हैं।पी. डब्ल्यू. 6 ने भी चश्मदीद गवाह होने का दावा किया। पुलिस रिपोर्ट पी. डब्ल्यू. 8 द्वारा अस्पताल में दर्ज कराई गई थी।

एफ.

3. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ लूथरा ने अपीलार्थीगण की ओर से मुख्य दलीलें देते हुए कहा कि छह व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता सी. की धारा 302/149 और 323/149 के तहत आरोप तय किए गए थे।लेकिन धारा 147 के तहत बनाया गया आरोप केवल चार व्यक्तियों के खिलाफ और धारा 141 और 146 की सहायता के बिना दोषपूर्ण था।इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थीगण को उनके बचाव में गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया गया है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (Cr.P.C) की धारा 313 के तहत बचाव के उचित अवसर से वंचित कर दिया गया था।

जी.

एच.

उन्हें दिए गए प्रश्न बमुश्किल दो पृष्ठों में बेहद अनौपचारिक और सार्थक थे।आरोपों के संबंध में सभी प्रासंगिक प्रश्न अपीलार्थीगण के सामने नहीं रखे गए, जिससे उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर नहीं मिला।इसे केवल एक अनियमितता के रूप में नहीं माना जा सकता है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि अपीलार्थीगण के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं किया गया है।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में विसंगति पर जोर देते हुए यह प्रस्तुत किया गया कि पीडब्लू 7 ने उनकी जांघ और पैर पर लाठी की चोट का दावा किया है, लेकिन पीडब्ल्यूएस। 6 और 8 अपीलार्थी फेनुल खान की भूमिका पर चुप हैं, और अपीलार्थी मीर शौकत के बारे में कहा जाता है कि उसने पीडब्ल्यू की जांघ पर हमला किया था। 6 और 7 जब एफ. आई. आर. के अनुसार उन्होंने पी. डब्ल्यू. 8 के सिर पर वार किया।प्रस्तुतियों के समर्थन में रिलायंस था

बी.

मसाल्ती बनाम यू. पी. राज्य पर रखा गया , ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 202, रणवीर यादव बनाम बिहार राज्य, (2009) 6 एस. सी. सी. 595 और समसुल हक बनाम राज्य

सी.

असम, (2019) एस. सी. सी. ऑनलाइन 1093; 2019 (11) स्केल 458। 4.इसके बाद यह प्रस्तुत किया गया कि पीडब्लू 6 हमले का चश्मदीद गवाह नहीं था।अपीलार्थीगण के चले जाने और मृतक के जमीन पर पड़े होने के बाद वह हंगामा सुनकर आया था।पीडब्लू 6 घटना स्थल पर पीडब्लू 7 की उपस्थिति को भी संदर्भित करता है।

डी.

5. पी. डब्ल्यू. एस. का साक्ष्य। 6 और 8 को मृतक से संबंधित होने के कारण बदनाम करने की मांग की गई थी।पीडब्लू का दावा। 7 और 8 घायल चश्मदीद गवाहों को भी चुनौती दी गई थी क्योंकि उनके संबंध में कोई चोट की रिपोर्ट नहीं थी।अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा पूर्व शत्रुता को स्वीकार किए जाने के कारण अपीलार्थीगण के झूठे निहितार्थ से इनकार नहीं किया जा सकता है।पीडब्लू 8 ने अपदस्थ किया कि मृतक के सिर पर पीछे से हमला किया गया था और उसके चेहरे पर गिर गया था, लेकिन मृतक के चेहरे पर कोई चोट नहीं मिली है।

ई.

6. मृतक पर आरोपी सिद्दीक और जब्बर ने भाले से हमला किया था।अपीलार्थीगण द्वारा मृतक पर लाठी से हमले के आरोप सर्वव्यापी हैं, क्योंकि ऊपरी बांह पर केवल एक चोट का निशान पाया गया है।कोई सामान्य उद्देश्य मौजूद नहीं था क्योंकि उस घटना में कुछ भी अपीलार्थीगण को मृतक के शरीर के संवेदनशील हिस्से, जैसे सिर पर व्यक्तिगत हमलों से नहीं रोकता था।वैकल्पिक रूप से, तीन अपीलार्थीगण कम से कम अपराध के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं।

एफ.

जी.

नजाभाई देसुरभाई वाघ बनाम। वलेराभाई डेगनभाई वाघ और अन्य।

(2017) 3 एससीसी 261। 7.राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि धारा 313 Cr.P.C के तहत अभियुक्त की जाँच में कोई कमी नहीं थी। किसी भी स्थिति में अपीलार्थीगण कोई पूर्वाग्रह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं हुए हैं।

एच.

931

फेलुल खान बनाम झारखंड राज्य और अन्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

ए.

इसके अलावा इस आपत्ति को वर्तमान विलंबित स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है जब इसे किसी भी प्रारंभिक स्तर पर नहीं उठाया गया था।रिलायंस को रखा गया था

शोभित चमार बनाम बिहार राज्य**, (1998) 3** एस**.** सी**.** सी**. 455** और फहीम खान बनाम बिहार राज्य**, (2011) 13** एस**.** सी**.** सी**.**

8. पीडब्ल्यू के संबंध में किसी भी चोट की रिपोर्ट की अनुपस्थिति। 7 और 8 दोषपूर्ण अनुसंधान का मामला हो सकता है।यह उनके मौखिक साक्ष्य की प्रकृति और पी. डब्ल्यू. 11, किस्को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जहां मृतक और घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया था, को देखते हुए उन्हें घायल चश्मदीद गवाह के रूप में बदनाम नहीं कर सकता

है।अपीलार्थीगण की उपस्थिति के संबंध में समवर्ती निष्कर्ष हैं।अपीलार्थीगण द्वारा सह-अभियुक्त के साथ एक समान उद्देश्य साझा करने के पर्याप्त सबूत हैं।

बी.

सी.

9. हमने पक्षों की ओर से प्रस्तुतियों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर सामग्री का भी अध्ययन किया है।मूल रूप से छह आरोपी थे।उनमें से दो की मौत हो चुकी है और एक के भाग्य का पता नहीं चल पाया है।धारा 464, Cr.P.C निम्नानुसार प्रदान करती हैः-

डी.

“464. फ्रेम में चूक का प्रभाव, या प्रभारी की अनुपस्थिति, या त्रुटि।—(1) सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय का कोई भी निष्कर्ष, सजा या आदेश केवल इस आधार पर अमान्य नहीं होगा कि कोई आरोप नहीं बनाया गया था या आरोप में किसी भी त्रुटि, चूक या अनियमितता के आधार पर, जिसमें आरोप का कोई गलत जवाब भी शामिल है, जब तक कि अपील, पुष्टि या संशोधन न्यायालय की राय में, वास्तव में न्याय की विफलता का कारण नहीं बनता है।

ई.

XXX "

अपीलार्थीगण अच्छी तरह से जानते थे कि उनमें से छह पर धारा 302/149 और 323/149 के तहत एक सामान्य हमले के लिए एक साथ आरोप लगाया गया था क्योंकि वे एक सामान्य उद्देश्य साझा कर रहे थे।अपीलार्थीगण इस बात से भी अवगत थे कि दो अभियुक्तों के पास एक घातक हथियार, भाले थे और जिनका उपयोग हमले के लिए किया जाता था।इसलिए हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है और अदालत द्वारा केवल चार व्यक्तियों के खिलाफ धारा 147 के तहत आरोप तय करने में चूक केवल एक अनजाने में चूक थी।मृतक पर एक चोट की उपस्थिति को भी मामले के तथ्यों में प्रासंगिक नहीं माना जाता है।एक दोषपूर्ण आरोप के बारे में आपत्ति, बिना किसी पूर्वाग्रह के साक्ष्य के, वर्तमान अपील में पहली बार उठाई गई है और उस कारण से भी कोई विचार नहीं किया जाता है।

एफ.

जी.

एच.

10. पीडब्लू 8 और मृतक एक साथ जा रहे थे जब उन्हें आरोपी व्यक्तियों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया।हम गवाह की उपस्थिति और उसी घटना में उसे लगी चोटों पर संदेह करने के लिए साक्ष्य या प्रतिपरीक्षा में कोई कमी नहीं पाते हैं।इसी घटना के दौरान इलाके के निवासी पी. डब्ल्यू. 7 और एक स्वतंत्र गवाह को भी चोटें आईं।लेकिन हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि पीडब्लू 6 एक चश्मदीद गवाह है।गवाह घर पर था और हंगामा सुनकर घटनास्थल पर पहुंच गया, जब तक कि मृतक जमीन पर लेटा हुआ था।पी. डब्ल्यू. 7 ने पदच्युत कर दिया कि पी. डब्ल्यू. 6 उनके पीछे पड़ गए।पी. डब्ल्यू. 7 ने अपीलार्थीगण सैनुल द्वारा पी. डब्ल्यू. 8 पर लाठी से और खुद गवाह पर भी अपीलार्थीगण फेनुल और मीर शौकत द्वारा किए गए हमले को अपदस्थ कर दिया, जिससे उसके सिर और दाहिने हाथ पर चोटें आईं।अपीलार्थी मीर शौकत के बारे में भी कहा जाता है कि उसने गवाह की जांघ पर लाठी से हमला किया था।पी. डब्ल्यू. 8 ने बयान दिया कि आरोपी ने उसे और मृतक को घेर लिया। अपीलार्थी सैनुल ने मृतक के सिर पर हमला किया।गवाह के चेहरे, सिर और हाथ पर लाठी से हमला किया गया।दोनों गवाहों ने गवाही दी कि फिर उन्हें मृतक के साथ अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी चोटों की जांच की गई।पी. डब्ल्यू. 8 ने अपने बयान के दौरान उनकी चोटों के कारण हुए निशान भी दिखाए, जिन्हें ट्रायल जज ने देखा।कहा जाता है कि दोनों गवाहों का बयान भी अस्पताल में दर्ज किया गया है।यह तथ्य कि कोई चोट की रिपोर्ट नहीं है, हमारी राय में, एक दोषपूर्ण अनुसंधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन उसी घटना में उनके घायल गवाह होने की विश्वसनीयता के बारे में संदेह नहीं पैदा कर सकता है। यह तथ्य कि पी. डब्ल्यू. 8 मृतक से संबंधित हो सकता है या पिछली दुश्मनी मौजूद हो सकती है, मामले के तथ्यों में अप्रासंगिक हैं।पी. डब्ल्यू. 11, किस्को पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी, जहाँ मृतक और घायलों को ले जाया गया था, ने विशेष रूप से बयान दिया है कि उन्होंने गवाहों की चोट रिपोर्ट के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है और जिसके अनुसार उन्हें उनकी चोट रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी।इसके बाद ही उनके द्वारा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।हम उनकी जिरह में उनके बयानों को बदनाम करने के लिए कोई सामग्री नहीं पाते हैं।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

11. धारा 313, Cr.P.C. में ऑडी अल्टरम पार्टेम के सिद्धांत को शामिल किया गया है।यह अभियुक्त को उसके खिलाफ अभियोजन के आरोपों के बारे में पूरी तरह से जागरूक करके और

अपनी बेगुनाही के समर्थन में उसी का जवाब देने का अवसर प्रदान करता है।निष्पक्ष सुनवाई के प्रावधान के महत्व पर कोई बहस नहीं होती है।

जी.

“313. अभियुक्त की जाँच करने की शक्ति।—(1) हर पूछताछ में या

मुकदमा, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से ए को समझाने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से

एच.

933

फेलुल खान बनाम झारखंड राज्य और अन्य [नवीन सिन्हा, जे.] ए.

उसके विरुद्ध साक्ष्य में उपस्थित होने वाली कोई भी परिस्थिति, न्यायालय -

(क) किसी भी स्तर पर, अभियुक्त को पहले चेतावनी दिए बिना, उसके सामने ऐसे प्रश्न रख सकता है जो न्यायालय आवश्यक समझे; (ख) अभियोजन पक्ष के गवाहों से पूछताछ किए जाने के बाद और उसे अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले, मामले पर उससे आम तौर पर पूछताछ की जाएगीः

बी.

बशर्ते कि समन-मामले में, जहां न्यायालय ने अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दिया है, वह खंड (बी) के तहत उसकी परीक्षा को भी समाप्त कर सकता है।

सी.

(2) जब अभियुक्त से उप-धारा (1) के तहत पूछताछ की जाती है तो उसे कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(3) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इनकार करके या उन्हें गलत उत्तर देकर खुद को दंडनीय नहीं ठहराएगा।

डी.

(4) अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तरों को ऐसी जांच या मुकदमे में ध्यान में रखा जा सकता है, और किसी अन्य अपराध की जांच या मुकदमे में उसके पक्ष या उसके खिलाफ साक्ष्य दिया जा सकता है, जो इस तरह के उत्तरों से पता चलता है कि उसने किया है।

(5) न्यायालय प्रासंगिक प्रश्न तैयार करने में अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की मदद ले सकता है जिन्हें अभियुक्त के समक्ष रखा जाना है और न्यायालय इस धारा के पर्याप्त अनुपालन के रूप में अभियुक्त द्वारा लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दे सकता है।”

ई.

12. लेकिन समान रूप से किसी अभियुक्त के प्रति पूर्वाग्रह की सामान्य धारणा केवल किसी चूक या उसके तहत किसी अभियुक्त के सामने रखे गए अपर्याप्त प्रश्नों के कारण नहीं हो सकती है।अंततः यह एक ऐसा प्रश्न होगा जिस पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचार किया जाना चाहिए, जिसमें उपलब्ध अन्य साक्ष्य की प्रकृति, किसी अभियुक्त को दिए गए प्रश्नों के प्रकार, और आगे कुछ भी शामिल होगा जो अभियुक्त अपने बचाव में कह सकता है।दूसरे शब्दों में, कई कारकों का संचयी संतुलन होना चाहिए।जबकि एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए एक आरोपी के अधिकार निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं, विचलित व्यवहार के सुधार के लिए पीड़ित और बड़े पैमाने पर समाज के अधिकारों को एक निष्पक्ष मुकदमे के लिए आवश्यक से अधिक उच्च आधार पर अभियुक्त के अधिकारों के अधीन नहीं किया जा सकता है।

एफ.

जी.

एच.

13. वर्तमान मामले के तथ्यों में, घायल गवाहों पी. डब्ल्यू. एस. के उपलब्ध नेत्र साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए। 7 और 8 जिनसे भी अपीलार्थीगण द्वारा जिरह की गई है, और पी. डब्ल्यू. 11 के साक्ष्य, हमारी यह सुविचारित राय है कि अपीलार्थीगण के प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं पैदा किया गया है।अपीलार्थीगण से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा गया कि उन्होंने मृतक की हत्या के सामान्य उद्देश्य के साथ एक गैरकानूनी सभा में भाग लिया।इसके अलावा, उन्हें यह भी बताया गया कि उन्होंने पी. डब्ल्यू. 7 और 8 को चोट पहुँचाई थी।केवल इसलिए कि अपीलार्थीगण से उनमें से प्रत्येक द्वारा किए गए व्यक्तिगत हमले के संबंध में कोई सवाल नहीं किया गया था, मामले के तथ्यों में यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके प्रति कोई पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।पूछे गए प्रश्न समान होने के कारण हम अपीलार्थीगण में से किसी एक के संबंध में इसे निकालना उचित समझते हैं।अपीलार्थीगण ने यह कहने के अलावा कोई स्पष्टीकरण या सबूत पेश करने की इच्छा नहीं जताई कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।फ़ैनुल ख़ान से पूछे गए सवाल नीचे दिए गए हैं:

बी.

सी.

“प्रश्नः जैसा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा कहा गया है, 1 नवंबर, 1983 को आपने अन्य अभियुक्तों के साथ एक गैरकानूनी सभा में भाग लिया और लड़ाई में भाग लिया। यह सच है? जवाबः नहीं। यह गलत है।

डी.

प्रश्नः यह भी कहा गया है कि आपने रब्बानी खान की हत्या की गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य में भाग लिया था। क्या यह सच है?

ई.

जवाबः यह गलत है।

प्रश्नः यह भी कहा गया है कि उक्त घटना के दौरान आपने नबीउल हसन खान, ईशानुल खान, मीर ताराबुल और मीर सानिफ को भी चोट पहुंचाई थी। क्या यह सच है?

एफ.

जवाबः नहीं। यह गलत है।

प्रश्नः क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? जवाबः हमें गलत तरीके से फंसाया गया है।”

14. सुरेश चंद्र बहरी बनाम बिहार राज्य, 1995 सप्लीमेंट (1)

जी.

एस. सी. सी. 80, इसे निम्नानुसार देखा गयाः “26.....इसमें कोई संदेह नहीं है कि सी. आर. पी. सी. की धारा 313 के पीछे अंतर्निहित उद्देश्य अभियुक्त को साक्ष्य में उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने में सक्षम बनाना है और यह उद्देश्य मैक्सिम ऑडी अल्टरम पार्टेम पर आधारित है जो ए के सिद्धांतों में से एक है।

एच.

प्राकृतिक न्याय। अभियुक्त को उक्त दोषपूर्ण परिस्थिति को समझाने का अवसर दिए बिना किसी भी दोषपूर्ण परिस्थिति पर भरोसा करना हमेशा अनुचित माना गया है। इसलिए, धारा 313 के प्रावधान अदालत के लिए यह अनिवार्य बनाते हैं कि वह अभियुक्त से उसके खिलाफ पेश होने वाले साक्ष्य और परिस्थितियों के बारे में पूछताछ करे ताकि उसे उस सटीक मामले से अवगत कराया जा सके जिसे उसे पूरा करना आवश्यक है। लेकिन अभियुक्त के लिए यह

दिखाना पर्याप्त नहीं होगा कि उससे किसी विशेष परिस्थिति में पूछताछ या पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन उसे यह भी दिखाना होगा कि इस तरह की गैर-जांच ने वास्तव में और भौतिक रूप से उसे पूर्वाग्रहित किया है और इसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता हुई है।दूसरे शब्दों में, अदालत की ओर से आरोपी से उसके खिलाफ पेश होने वाली किसी भी आपत्तिजनक परिस्थिति पर सवाल करने में अनजाने में चूक की स्थिति में, यह वास्तव में मुकदमे को दूषित नहीं कर सकता है जब तक कि यह नहीं दिखाया जाता है कि उसके प्रति कुछ पूर्वाग्रह पैदा किया गया था।बेजॉय चंद पात्रा बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 105 में, इस न्यायालय ने यह विचार व्यक्त किया कि अभियुक्त के लिए केवल यह दिखाना पर्याप्त नहीं है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 (अब नई संहिता में धारा 313) द्वारा आवश्यक रूप से उसकी पूरी तरह से जांच नहीं की गई है, लेकिन उसे यह भी दिखाना चाहिए कि इस तरह की परीक्षा ने उसे भौतिक रूप से पूर्वाग्रहित किया है।इस न्यायालय ने राम शंकर सिंह बनाम डब्ल्यू. बी. राज्य, 1962 सप्लीमेंट (1) एस. सी. आर. 49 में फिर से यही विचार दोहराया।15. शोभित चमार (उपरोक्त) में, धारा 313, Cr.P.C के चरण में दुर्बलताओं के बावजूद नेत्र साक्ष्य की प्रकृति पर विचार करते हुए, यह निम्नानुसार देखा गया थाः

बी.

सी.

डी.

ई.

“18. ....हमारे समक्ष मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला मुख्य रूप से चश्मदीद गवाहों के नेत्र साक्ष्य पर आधारित था।अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के समापन पर, निचली अदालत ने दोनों अपीलार्थीगण के सामने चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य से संबंधित आवश्यक प्रश्न रखे और उसके बाद उनके द्वारा दिए गए उत्तरों को दर्ज किया।

एफ.

XXXX

24. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा भरोसा किए गए इन सभी रिपोर्ट किए गए निर्णयों का अध्ययन किया है और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई संकोच नहीं देखते हैं कि इस अपील में पहली बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के गैर-अनुपालन के आधार पर दोषसिद्धि की चुनौती पर तब तक विचार नहीं किया जा सकता जब तक कि अपीलार्थीगण यह प्रदर्शित नहीं करते कि उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले बताया गया है,

जी.

अभियोजन पक्ष ने चश्मदीद गवाहों के नेत्र साक्ष्य पर दृढ़ता से भरोसा किया और इस साक्ष्य के संदर्भ में प्रासंगिक प्रश्न अपीलार्थीगण के सामने रखे गए।यदि इन गवाहों का साक्ष्य स्वीकार्य पाया जाता है, तो दोषसिद्धि तब तक कायम रखी जा सकती है जब तक कि अपीलार्थीगण द्वारा यह नहीं दिखाया जाता है कि उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। हमारे सामने ऐसा कोई पूर्वाग्रह नहीं दिखाया गया था और इसलिए, हम अपीलार्थीगण की ओर से उठाए गए तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं।"

बी.

16. उपरोक्त रूप से हमारे निष्कर्षों के बावजूद कि वास्तव में धारा 313 के तहत प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं हुई है. अपीलार्थीगण के लिए किसी भी पूर्वाग्रह से बहुत कम अब हम इस मुद्दे पर विचार करेंगे कि क्या अपीलार्थी इस स्तर पर आपत्तियां उठा सकते हैं

सी.

उसी को ध्यान में रखें।सुखा बनाम राजस्थान राज्य, 1956 एस. सी. आर. 288 में, यह

निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- "35. .....हमने हाल ही में निर्णय लिया है कि जब विवरण प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो हम पूर्वाग्रह के सवाल पर विचार करने में देरी करेंगे; इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाएगा कि आपत्ति को शुरुआती चरण में नहीं लिया गया है। इस न्यायालय में अपील करने की अनुमति के लिए यहां उच्च न्यायालय में अपीलार्थीगण द्वारा दायर याचिका में पूर्वाग्रह का कोई संकेत नहीं है; न ही इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति के लिए बहुत लंबी और तर्कपूर्ण याचिका में इसे शिकायत का आधार माना गया था। पूर्वाग्रह के बारे में एकमात्र शिकायत इस आधार पर थी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत कोई उचित जांच नहीं की गई थी।हम इस मामले को उठाने की अनुमति देने से इनकार करते हैं।"17. मसाला (ऊपर) मौत की सजा के मामले से संबंधित है और ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि सुखा (ऊपर) की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।उपरोक्त चर्चा को देखते हुए हम श्री लूथरा के वैकल्पिक समर्पण पर विचार करने में अपनी असमर्थता पर खेद व्यक्त करते हैं।अपीलार्थीगण निस्संदेह एक गैरकानूनी सभा के सदस्य थे, जिनमें से कुछ भाले से भी लैस थे और मृतक पर हमला करते थे।सभी अभियुक्तों ने मृतक को भागने से रोकने के लिए उसे घेर लिया।अपीलार्थी सैनुल द्वारा मृतक के सिर पर लाठी से प्रारंभिक हमला किया गया था।मृतक नीचे गिर गया और जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था, तो दो लोगों ने

भाले से उस पर हमला कर दिया।पी. डब्ल्यू. 7 के सिर पर अपीलार्थी फेनुल द्वारा हमला किया गया था।झगड़ों में यह तथ्य कि अपीलार्थी मीर शौकत द्वारा किया गया हमला गवाह की जांघ पर गिर गया, बहुत प्रासंगिक नहीं है।इसी तरह, पी. डब्ल्यू. 8 पर अपीलार्थी सैनुल ने चेहरे और सिर पर हमला किया।यह तथ्य कि सह-अभियुक्त ने फिर से सिर पर हमला किया हो सकता है, सामान्य वस्तु की अनुपस्थिति से बचने के लिए बहुत प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

937

फेलुल खान बनाम झारखंड राज्य और अन्य [नवीन सिन्हा, जे.]

ए.

18. इसलिए, हम अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। याचिकाएं खारिज की जाती हैं।अपीलार्थीगण को जमानत पर बताया गया है।उनके जमानत बांड रद्द कर दिए जाते हैं और उन्हें सजा की शेष अवधि पूरी करने के लिए तुरंत आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

बी.

देविका गुजराल

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.